हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

7-ए, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

नं.: एफ.11(117)/2014-एचआरएमए/सीएस-178 दिनांक: 24 अक्टूबर, 2016

<u>परिपत्र</u>

विषय: <u>सतर्कता मेकैनिज्म</u>

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार,

1. हडको के लिए यह आवश्यक है कि वह निदेशकों और अपने कार्मिकों के लिए अपनी वास्तविक चिंताओं को निर्धारित तरीके से रिपोर्ट करने के लिए एक सतर्कता मेकैनिज्म स्थापित करे।

2. लेखापरीक्षा समिति सतर्कता मेकैनिज्म की निगरानी करेगी और यदि समिति के किसी भी सदस्य का किसी दिए गए मामले में हितों का टकराव होता है, तो उन्हें खुद को उससे अलग कर लेना चाहिए और समिति के अन्य सदस्य संबंधित मामले पर कार्रवाई करेंगे।

3. सतर्कता मेकैनिज्म ऐसे व्यक्तियों के उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करेगा जो इस मेकैनिज्म का उपयोग करते हैं और उपयुक्त या असाधारण मामलों में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुंच का प्रावधान करेगा।

4. ऐसे मेकैनिज्म की स्थापना के विवरण का प्रकटीकरण कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर और निदेशकों की रिपोर्ट में किया जाएगा।

5. किसी निदेशक या कार्मिक द्वारा बार-बार झूठी या परेशान करने वाली शिकायतें दर्ज कराने के मामले में, लेखापरीक्षा समिति संबंधित निदेशक या कार्मिक के खिलाफ फटकार सहित उपयुक्त कार्रवाई कर सकती है।

हडको के पास आवश्यक सतर्कता मेकैनिज्म मौजूद है। हालांकि, लेखापरीक्षा समिति ने 26 सितंबर, 2016 को आयोजित अपनी 101वीं बैठक में मद संख्या 101.04 के अंतर्गत, विशेष उपयोग के

लिए अध्यक्ष लेखापरीक्षा समिति को आबंटित एक अलग ईमेल आईडी पर उपयुक्त या असाधारण मामलों में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुंच का प्रावधान करके, इस तरह के सतर्कता मेकैनिज्म का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करने का निर्णय लिया।

उपरोक्त के संदर्भ में, जैसा कि आगे वांछित है, उपरोक्त निर्णय की सामग्री को कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार सभी कार्मिकों और निदेशकों की जानकारी में लाया जाता है, ताकि उपयुक्त या असाधारण मामलों में अध्यक्ष लेखापरीक्षित समिति की निम्नलिखित ईमेल आईडी पर सीधे संपर्क किया जा सके:

chair_auditcommittee@hudco.org

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(जे. प्रेम नवाज़)
कार्यकारी निदेशक (एचआरएमए)

1. अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
2. लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष
3. निदेशक, हडको बोर्ड
4. सभी कार्मिक

प्रतिलिपि:

1. डीजीएम (ओएल) - हिंदी संस्करण हेतु
2. डीएम (आईटी) - इंट्रानेट पर पोस्ट करने हेतु
3. परिपत्र फाइल